रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 1974/माघ 11, 1895

No. 52] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 1974/MAGHA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January 1974

S.O. 75(E).—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (*a*) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said order.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture,

Department of Food No. S.O. 720(E) dated the 30th Nov., 1973, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below, with effect from the 1st February, 1974 as follows :—

	Zone 'A'			Zone 'B'		
	Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (other than the districts/areas specified in zone B'), Chandigarh and Delhi			Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the districts of Almora, Chamoli Garhwal, Pithorgarh, Tehri Garhwal and Uttar Kashi and the hilly areas of the district of Dehra Dun and Nainital, in Uttar Pradesh		
	By producer	By whole saler	By retailer	By producer	By whole saler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms)						
16·5	121·03	128·31	129·96	123·40	130·80	132·45
15·0*	110·54	117·20	118·70	112·70	119·47	120·97
4·0	31·82	33·69	34·09	32·40	34·30	34·70
2·0	16·56	17·51	17·71	16·84	17·81	18·01
(b) *In high-density polythene containers* (Net Capacity, in Kilograms)						
2·0	16·02	16·96	17·16	16·30	17·26	17·46
1·0	8·43	8·93	9·03	8·57	9·08	9·18
(c) *In returnable galvanised steel drums* Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7·28	7·73	—	7·43	7·88	—
(ii) Non-aerated	7.26	7.71	—	7.41	7.86	—
(d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net	—	—	7·86	—	—	8·01

	Zone 'C'			Zone 'D'		
	Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Laccadive Minicoy and Aminidivi Islands and Pondicherry			Bihar, Orissa and West Bengal		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms)						
16·5	119·23	126·42	128·07	121·56	128·87	130·52
15·0*	108·89	115·48	116·98	111·02	117·71	119·21
4·0	31·39	33·23	33·63	31·96	33·83	34·23
2·0	16·33	17·28	17·48	16·62	17·57	17·77
(b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms)						
2·0	15·79	16·73	16·93	16·07	17·02	17·22
1·0	8·31	8·81	8·91	8·46	8·96	9·06
(c) *In returnable galvanised steel drums* Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7·17	7·61	—	7·31	7·76	—
(ii) Non-aerated	7·15	7·59	—	7·29	7·74	—
(d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net	—	—	7·74	—	—	7·8

	Zone 'E'			Zone 'F'		
	Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram			Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa in the territory of Goa, Daman and Diu		
	By producer	By whole-saler	By retailer	By producer	By whole-saler	By retailer
(a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
16·5	123·32	130·72	132·37	120·70	127·96	129·61
15·0*	112·62	119·39	120·89	110·22	116·87	118·37
4·0	32.39	34.28	34.68	31.75	33.61	34.01
2.0	16·83	17·80	18·00	16·50	17·46	17·66
(b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms)						
2·0	16·29	17·25	17·45	15·96	16·91	17·11
1·0	8·56	9·07	9·17	8·40	8·90	9·01
(c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7·42	7·87	—	7·26	7·70	—
(ii) Non-aerated	7·40	7·85	—	7·24	7·68	—
(d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net	—	—	8·00	—	—	7·84

	Zone 'G'		
	Gujarat, Dadra and Nagar Havell and Daman and Diu in the territory of Goa, Daman and Diu		
	By Producer	By whole-saler	By retailer
(a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
16·5	119·75	126·97	128·62
15·5*	109·36	115·97	117·47
4·0	31·53	38·37	33·77
2·0	16·39	17·34	17·54
(b) *In high density polythene containers* (Net capacity, in kilograms)			
2·0	15·85	16·79	16·99
1·0	8·34	8·84	8·95
(c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net			
(i) Aerated*	7·20	7·64	—
(ii) Non-aerated	7·18	7·62	—
(d) *Loose in small quantities* Per kilogram, Net	—	—	7·78

NOTE.—(1) (*) Aerated quality—Manufactured under special permission.

(2) The Price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation.—In this notification

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16·5 kgs. of vegetable oil products to any one consumer at a time.

(ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product
(a) to a retailer in any quantity, or
(b) to a consumer exceeding 16·5 kgs. at a time.

[No. 12-2/74-C&P]

F. G. T. MENEZES
Director (Vanaspati)

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1974

का० आ० 75 (अ).—यतः मैं, एफ० जी० टी० मैनेजिज वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया हूं ।

अतः अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 720(ई) तारीख 30-11-73 को अधिक्रमित करते हुए, मैं एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम की मतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 1-2-74 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूं :—

	जोन 'क'			जोन 'ख'		
	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान उत्तर-प्रदेश (जोन 'ख' में दिये गए जिलों तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त), चण्डीगढ़ और दिल्ली ।			हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, चमोली गढ़वाल, पिथौड़ागढ़, टेरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिले, तथा देहरादून और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र ।		
	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में मुद्धारिता)						
16.5	121.03	128.31	129.96	123.40	130.80	132.45
15.0*	110.54	117.20	118.70	112.70	119.47	120.97
4.0	31.82	33.69	34.09	32.40	34.30	34.70
2.0	16.56	17.51	17.71	16.84	17.81	18.01

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधानों में						
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
2.0	16.02	16.96	17.16	16.30	17.26	17.46
1.0	8.43	8.93	9.03	8.57	9.08	9.18
(ग) लौहाए जाने योग्य अस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध						
(i) वातित	7.28	7.73	..	7.43	7.88	..
(ii) अवातित	7.26	7.71	..	7.41	7.86	..
(घ) खुला, थोड़ी मात्रा में प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध	..	..	7.86	..	..	8.01

	जोन 'ग'			जोन 'घ'		
	आन्ध्रप्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पाण्डिचेरी।			बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल।		
	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर-विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) धिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
16.5	119.23	126.42	128.07	121.56	128.87	130.52
15.0*	108.89	115.48	116.98	111.02	117.71	119.21
4.0	31.39	33.23	33.63	31.96	33.83	34.23
2.0	16.33	17.28	17.48	16.62	17.57	17.77
(ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
2.0	15.79	16.73	16.93	16.07	17.02	17.22
1.0	8.31	8.81	8.91	8.46	8.96	9.06

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग) लौटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रामों में प्रति किलोग्राम						
शुद्ध (i) वातित	7.17	7.61	..	7.31	7.76	..
(ii) अवातित	7.15	7.59	..	7.29	7.74	..
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम,						
शुद्ध	..	..	7.74	..	..	7.89

	जोन 'छ'			जोन 'च'		
	असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोराम।			मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, गोवा, दमन और गोवा, दमन और दीव के राज्य क्षेत्र में।		
	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर-विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
16.5	123.32	130.72	132.37	120.70	127.96	129.61
15.0*	112.62	119.39	120.89	110.22	116.87	118.37
4.0	32.39	34.28	34.68	31.75	33.61	34.01
2.0	16.83	17.80	18.00	16.50	17.46	17.66
(ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
2.0	16.29	17.25	17.45	15.96	16.91	17.11
1.0	8.56	9.07	9.17	8.40	8.90	9.01

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ग) लौटाई जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में						
प्रति किलोग्राम						
शुद्ध						
(i) वातित	7.42	7.87	..	7.26	7.70	..
(ii) अवातित	7.40	7.85	..	7.24	7.68	..
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में						
प्रति किलोग्राम						
शुद्ध	..	..	8.00	..	..	7.84

जोन 'छ'

गुजरात, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव के राज्य क्षेत्र में

	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)
	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधारों में			
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)			
16.5	119.75	126.97	128.62
15.0*	109.36	115.97	117.47
4.0	31.53	33.37	33.77
2.0	16.39	17.34	17.54
(ख) ऊर्ध्वघनत्व के पालीथीन के आधारों में			
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)			
2.0	15.85	16.79	16.99
1.0	8.34	8.84	8.95

	(1)	(2)	(3)
(ग) लौटाए जाने योग्य जब्तशुदा इस्पात के ड्रमों में			
प्रति किलोग्राम			
शुद्ध			
(i) वातित	7.20	7.64	..
(ii) अवातित	7.18	7.62	..
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में			
प्रति किलोग्राम			
शुद्ध	..	..	7.78

टिप्पणी.—(1) (*) वातित क्वालिटी—विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रेय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित है किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रयकर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण.—(i) फुटकर विक्रेता से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय नहीं करता है ।

(ii) "थोक विक्रेता" से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो, —

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में, 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/72-सी० तथा पी०]

एफ० जी० टी० मैनेज़िज,
निदेशक (वनस्पति) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974